अनुसूची–१४ –फारम सं० ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

अधिग्रहण वाद सं0– 10/2014.

सरकार (मार्फत अनु0 पदा0 सदर, छपरा)

बनाम

श्री राजकुमार सिंह एवं अन्य

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेषी, तारीख–सहित
25/3/14	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा के पत्रांक 143/आपूर्ति दिनांक 15.03.2014 के साथ संलग्न दर्ज करायी गयी प्राथमिकी/जप्ती सूची/बयान की प्रति एवं जिम्मेनामा की छायाप्रति का अवलोकन किया। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन से यह विदित होता है कि दिनांक 02.03.2014 को रविवार अवकाश के दिन राज्य खाद्य निगम गोदाम के सामग्री से लदे दो सौ पैकेट (वजन एक सौ क्वीन्टल) चावल लदे ट्रक संख्या BR01GB 1765 को गड़खा थाना के द्वारा पकड़ा गया एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गड़खा के द्वारा सहायक गोदाम प्रबंधक श्री राजकुमार सिंह, श्री विद्यापति प्रसाद, पिता– स्व0 लखन प्रसाद, ग्राम– खेदुबिगहां, थाना– एकरंगसराय, जिला– नालंदा एवं श्री विजय कुमार, पिता– श्री बबन सिंह, ग्राम– रामपुर मोथा, मढ़ौरा, सारण के विरूद्ध गड़खा थाना में प्राथमिकी संख्या 42/2014 दिनांक 02.03.2014 दर्ज करायी गयी है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गड़खा के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ट्रक संख्या BR01GB 1765 एवं उस पर लदे दो सौ पैकेट वजन 100 (एक सौ) क्वीन्टल चावल को थाना प्रभारी श्री रघुनाथ प्रसाद को उनकी अभिरक्षा में जिम्मेनामा पर सौंपा गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा के द्वारा उक्त जप्त खाद्यान्न एवं वर्णित ट्रक को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (ए) के तहत् अधिग्रहण का प्रस्ताव भेजा गया है। चूंकि जप्त खाद्यान्न नष्ट होनेवाली वस्तु है, अतः इसे आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 (ए–2) के अन्तर्गत उचित दर पर विक्री हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा को प्राधिकृत किया जाता है।	

अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा को आदेश दिया जाता है कि यदि किसी व्यवहार न्यायालय के आदेश के प्रतिकूल नहीं हो तो वे जप्त खाद्यान्न को जप्ती सूची के अनुसार डाक के द्वारा बिक्री कराकर विक्रय राशि को जिला कोषागार में उचित शीर्ष में जमा कराकर अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक 10.04.2014 तक भेज दें। साथ ही, सुनवाई की अगली तिथि 10.04.2014 के पूर्व उक्त जप्त ट्रक संख्या BR01GB 1765 की संलिप्तता के बिन्दु पर भी प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अतः विपक्षी के नाम आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा–6 (बी) के अन्तर्गत कारण पृच्छा नोटिश निर्गत करते हुए उत्तर की माँग करें कि क्यों नहीं जप्त खाद्यान्न को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा –6(ए) के अन्तर्गत अधिग्रहण कर ली जाए।

आदेश की प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा/ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गड़खा एवं थानाध्यक्ष गड़खा एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गड़खा को अनुपालन हेतु भेजे।

अभिलेख दिनांक 10.04.2014 को प्रस्तुत करें।

लेखापित एवं सशोधित

जिला दण्डाधिकारी,	जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।	सारण, छपरा।

ज्ञापांक 143/न्या/न्यायालय, दिनांक 26/3/14

प्रतिलिपि– अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गड़खा/थानाध्यक्ष, गड़खा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वरीय उपसमाहर्त्ता
प्रभारी जिला विधि शाखा
25/3/14 सारण, छपरा।